भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5625
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

मिशन वात्सल्य योजना

5625. **श्री सौमित्र खानः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में मिशन वात्सल्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ-साथ इसके प्रमुख उद्देश्यों और घटकों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त संसदीय क्षेत्र सहित उक्त मिशन के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या मिशन वात्सल्य योजना कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे बच्चों के लिए प्रायोजन और पालन-पोषण की सुविधा प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और प्रायोजन तथा पालन-पोपण अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) की क्या भूमिका है; और
(घ) क्या सरकार ने देश भर के जिलों में उक्त मिशन के अंतर्गत बाल कल्याण पहलों के कार्यान्वयन/निगरानी को मजबूत करने, विशेष रूप से सीडब्ल्यूसी के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वनिर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केंद्र

प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ, आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि में मदद करते हैं। गैर-संस्थागत देखभाल के तहत सहायता देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख और पश्चात देखरेख (ऑफ्टर केयर) के रूप में प्रदान की जाती है।

मिशन वात्सल्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार करते समय बच्चों के सर्वोत्तम हितों का हमेशा ध्यान रखा जाए। इसमें बच्चों के लिए आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन आउटरीच सेवाओं की स्थापना करना और संस्थागत तथा गैर-संस्थागत देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करना शामिल है।

मिशन वात्सल्य योजना में, लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए राज्य और जिला स्तर पर वैधानिक और सेवा प्रदायगी संरचनाओं की स्थापना का प्रावधान है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस), राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) और जिलों में बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना की गई है। दिनांक 31.03.2024 तक पश्चिम बंगाल में 25 बाल कल्याण समितियां, 23 किशोर न्याय बोर्ड और 23 जिला बाल संरक्षण इकाइयां मौजूद हैं।

मंत्रालय इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क करता है। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिशन वात्सल्य के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश और परामर्श भी जारी किए हैं। इनमें मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देश, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, आदर्श पालक देखरेख दिशा-निर्देश 2024 इत्यादि शामिल हैं।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत की गई पहलों में "संवाद" (असुरक्षित परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए पक्ष समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य कार्यकलाप) के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बैंगलोर के साथ सहयोग शामिल है। संवाद मानसिक स्वास्थ्य, देखरेख और संरक्षण, शिक्षा और नीति तथा कानून के क्षेत्रों में काम करता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं और

अन्य हितधारकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के सहयोग से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है जिसका उद्देश्य किशोर न्याय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिला प्राधिकरणों जैसे कई हितधारकों का क्षमता निर्माण करना है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग) और (घ): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना का प्रावधान है, जिसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) के संबंध में उनके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार है। उन्हें बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिकार है (जेजे अधिनियम की धारा 27-30)।

मिशन वात्सल्य योजना के गैर-संस्थागत देखरेख घटक के तहत, प्रायोजन, पालन-पोषण, दत्तक ग्रहण और पश्चात देखरेख(ऑफ्टर केयर) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। मिशन वात्सल्य योजना के दिशा-निर्देश में प्रायोजन और पालन-पोषण संबंधी मामलों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक प्रायोजन और पालन-पोषण संबंधी अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मिशन वात्सल्य योजना के तहत प्रायोजन और पालन-पोषण संबंधी देखरेख सहित गैर-संस्थागत देखरेख के तहत कुल 1,21,861 बच्चों को सहायता की गई।

देश भर के जिलों में मिशन वात्सल्य के तहत बाल कल्याण पहलों के कार्यान्वयन/निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिशन वात्सल्य के तहत बाल कल्याण पहलों के कार्यान्वयन/निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश और सलाह जारी की हैं। इसके तहत अन्य दिशा-निर्देशों में मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देश, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश 2024 शामिल हैं।

जेजे एक्ट, 2015 की धारा 106 में कहा गया है कि जेजे एक्ट, 2015 क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की है। जेजे एक्ट, 2015 (2021 में यथा संशोधित) के अनुसार, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को जिले में नोडल प्राधिककारी के रूप में सशक्त बनाया गया है।

*****

अनुलग्नक

'मिशन वात्सल्य योजना' के संबंध में श्री सौमित्र खान द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5625 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिशन वात्सल्य योजना (संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख) के तहत सहायता प्राप्त बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थागत देखरेख में सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या	गैर-संस्थागत देखरेख में सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1546	10000
2	अरुणाचल प्रदेश	206	1719
3	असम	1241	1919
4	बिहार	2227	4001
5	छत्तीसगढ़	1843	1137
6	गोवा	461	62
7	गुजरात	3195	450
8	हरियाणा	963	643
9	हिमाचल प्रदेश	926	1352
10	जम्मू और कश्मीर	1104	4024
11	झारखंड	1238	4629
12	कर्नाटक	3110	12449
13	केरल	776	1455
14	मध्य प्रदेश	2597	13715
15	महाराष्ट्र	3495	21680
16	मणिपुर	2295	1288
17	मेघालय	1031	1083
18	मिजोरम	1172	1516
19	नागालैंड	562	779

20	आडिशा	4431	3697
21	पंजाब	533	4150
22	राजस्थान	2733	933
23	सिक्किम	468	460
24	तमिलनाडु	10118	5411
25	तेलंगाना	2243	4858
26	त्रिपुरा	948	1373
27	उत्तर प्रदेश	3226	10000
28	उत्तराखंड	589	1817
29	पश्चिम बंगाल	4744	2750
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	274	1
31	चंडीगढ़	222	309
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव	36	984
33	लद्दाख	84	411
34	लक्षद्वीप	0	0
35	दिल्ली	1216	635
36	पुदुच्चेरी	739	171
कुल		**62592**	**121861**

*****